

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

दीपक

बनाम

जामना जाट

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 252/10 25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.6.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेफ के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>दीपक</u></p> <p>पिता श्री <u>कन्हैयालाल वैष्णव</u></p> <p>निवासी- <u>गांधीनगर कोठ</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सिरोड़ी</u> <u>प.र. 9डोदिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>888</u> / <u>895/1295</u> / <u>895</u> <u>0.36</u> / <u>0.39</u> / <u>0.75</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.7500</u> हे० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सिरोड़ी (9डोदिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>888</u> / <u>895/1295</u> / <u>895</u> <u>0.36</u> / <u>0.39</u> / <u>0.75</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.75</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पाच</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(<u>दीपक</u>) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>